



जिला परिषद, कार्यालय, भागलपुर

ddcumceozpbhagalpur@gmail.com



जिला परिषद कार्यालय, भागलपुर

15वीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत जिला परिषद, भागलपुर में चलायी जा रही योजनाओं में सामग्री अधिप्राप्ति (Material Procurement) यथा- बालू, ईट, सीमेन्ट, स्टोन, छड़ इत्यादि हेतु आपूर्तिकर्ता चयन के लिये प्रतिष्ठित, निबंधित एवं सक्षम प्रतिष्ठान से दर निविदा के उद्देश्य से प्रस्ताव का आमंत्रण किया जाता है। प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर सामग्री अधिप्राप्ति हेतु प्रतिष्ठानों का चयन अधोलिखित दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा-

1. विज्ञप्ति के प्रकाशन के सात दिनों के अंदर अपना प्रस्ताव जिला परिषद, भागलपुर के कार्यालय में जमा करना होगा।
2. प्रस्ताव में द्विलिफाफा प्रणाली के तहत तकनीकी विवरणी एवं वित्तीय विवरणी अलग-अलग लिफाफा में रखते हुए सीलबंद लिफाफा कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
3. प्रस्ताव में सामग्री का उल्लेखित दर सभी करों के साथ होनी चाहिए। साथ ही सामग्री को योजनारथल पर पहुंचाने का दर भी प्रति किलोमीटर की दर से अंकन होना चाहिये।
4. प्रस्ताव में उल्लेखित दर भवन निर्माण विभाग के द्वारा निर्धारित दर से अधिक नहीं होना चाहिये।
5. सामग्री की अधिप्राप्ति में बिहार वित्त नियमावली 2005 के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
6. प्रस्ताव के साथ निबंधन प्रमाण-पत्र, पैनकार्ड एवं विगत तीन वर्षों का टर्नओभर संलग्न करना अनिवार्य है।
7. सामग्री के भुगतान के समय नियमानुकूल करों की कटौती, खनन विभाग के मालिकाना फीस एवं स्वामित्व की कटौती की जायेगी।
8. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय चयन प्रक्रिया को रद्द करने अथवा चयन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद भागलपुर